पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 15.01.2024 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से एवं मनमाने तौर पर प्रार्थीगण जो कि विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड मे विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं आराजी से उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं उसे जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को अपने विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग से वंचित होना पड रहा है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को स्थगित किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2023 की पालना व प्रभाव स्थगित किए जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.02.2024 की पेशी नियत की गई थी वहां प्रतिवादी संख्या 2 लगयात 09 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलांट हमारे फंट पर निर्माण कार्य कर रहे है तथा निमार्ण नया है। विवादित आराजी में हमारा हिस्सा 1/4 है तथा अन्य पक्षकारों का 3/4 है। कोर्ट में सहमति बाबत उपस्थित नहीं हुए और अपील में आ गए तथा वहां अपीलांट की ओर से जवाब नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामें हेतु कहा गया किन्तु वहां समय ले रहे तथा यहां अपील कर रहे है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी दूदू प्रकरण संख्या 89/2023 उनवानी लाभाराम बनाम रामस्वरूप अंतर्गत 212 आरटी एक्ट दिनांक 11.12.2023 का है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 26.12.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेंट के द्वारा प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं आराजी के उपयोग एवं उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने एवं उसे जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है जिस वजह से प्रार्थीगण को विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग से वंचित होना पड रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अपील निस्तारण तक अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एसडीओ दूदू में धारा 53, 188 व 212 का प्रार्थना पत्र आरटी एक्ट के तहत दिनांक 11.12.2023 को प्रस्तुत किया गया। एक पक्षीय सुनवाई कर अंतरिम स्थगन आदेश सहखातेदारों के विरूद्ध दिया गया। दूदू एसडीओ में हम सभी बंटवारे से सहमत है। विश्राम पुत्र रामदेव का मौके पर मकान बना हुआ है।। पूर्व मकान को तोडकर नवनिर्माण कर रहा है। लाभाराम सरकारी कर्मचारी भी है। हम सिर्फ मकान बनाना चाह रहे है रहने हेतु मकान बना रहे है। पूरी जमीन पर स्टे दे दिया गया है।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि एसडीओ दूदू में हमारे द्वारा धारा 53, 188 का वाद लगाया गया था। न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है जिसमें अगली पेशी दिनांक 24.2.2024 दी गई थी। वहां पक्षकार (रेस्पोडेंट संख्या 2–9) द्वारा अरजेंट हियरिंग बाबत प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें जगदीश भी शामिल था हमने स्वीकार किया। हमारे फट पर निर्माण कर रहे हैं। निर्माण नया है नीवें खुदी हुई है सिर्फ खसरा नम्बर

7.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

जगदीश बनाम लाभाराम वगै० (2023/365)

लगातार...

1334 रोड पर है खसरा नम्बर 1333 फंट पर है रोड के निकट है। खसरा नम्बर 1366/1327 खसरा नम्बर 1333 के पीछे है। हमारा हिस्सा 1/4 है अन्य का 3/4 कोर्ट में जगदीश सहमति बाबत उपस्थित नहीं हुए और अपील में यहां आ गए। वहां इन्होंने जवाब नहीं दिया। पीठासीन अधिकारी ने राजीनामे हेतु कहा यहां आगए वहां समय ले रहे हैं। इन्होनें अगली तिथि दिनांक 22.1.2024 ले रखी है।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश प्रकरण सख्या 89/2023 लाभाराम बनाम रामस्वरूप उपखण्ड अधिकारी न्यायालय दिनांक 11.12.2023 का ऑपरेटिव हिस्सा निम्नानुसार है– वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली मं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन एवं अवलोकन पत्रावली प्रथम दृष्टया मौके पर विवाद न हो एवं वाद बहुलता न हो इसलिए उभयपक्षकारान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत किए जाने तक पांबद किया जाता है किवे विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1327,1331,1332,1333,1370 कुल किता 5 कुल रकबा 3.5277 है0 वाकै ग्राम हटुपुरा तहसील दूदू जिला दूदू का बैचान नहीं करे एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी अप्रार्थीगण जारी होकर दिनांक 5.2.2024 को पेश हो।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्ष के द्वारा 212 के प्रार्थना पत्र में जवाब पेश नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा राजीनामे हेतु कहा गया था कोर्ट में सहमति बाबत जगदीश उपस्थित नहीं हुए और अपील इनके द्वारा यहां प्रस्तुत की गई है। दिनांक 22.1.2024 इनके द्वारा तिथि ली हुई है। बहस में यह भी ध्यान में लाया गया कि निर्माण पुराना नहीं होकर बिल्कुल नया है तथा रेस्पोडेंट के अनुसार यह उनके फ्रंट पर निर्माण कर रहे है। पूर्व में दिनांक 24.2.2024 अगली तिथि तय की गई थी जो अपीलांट पक्ष के निवेदन पर रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के अरजेंट हियरिंग बाबत उनका निवेदन स्वीकार किया था तथा तिथि दिनांक 22.1.2024 रखी गई।

अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग देखने से स्पष्ट है कि बिना बंटवारे अपीलांट पक्ष द्वारा निर्माण किया जा रहा था जिसे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रोका गया था। जो उचित है क्यों कि ऐसा नहीं करने पर मौके पर विवाद होता तथा वाद बहुलता बढती। अधीनस्थ न्यायालय में 212 की पत्रावली में कार्यवाही अभी आरंभिक स्टेज पर है अपीलांट को यह चाहिए था कि वह वहां जवाब प्रस्तुत कर शीघ्र बहस करवाने हेतु निवेदन करते परंतु ऐसा नहीं करके उनके द्वारा अपील को प्रिफर किया गया है जो उचित नहीं है।

जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम आरबीजे 2021(21) पेज 204 में दी गई व्यवस्था के निर्देश अनुसार ऐसे टीआई प्रकरण जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगली तिथि तक अंतरिम स्टे दिया गया है। वहां अपीलेट कोर्ट को ऐसी अपील नहीं सुनने हेतु कहा गया है। वर्तमान प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगली तिथि तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। वाद बहुलता को रोकने हेतु उनके द्वारा उचित आदेश दिया है ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर बहस में भाग लेकर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करवाते। न्यायालय हाजा अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम स्थगन से संबंधित आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी एक माह में दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

7.2.2024

राजस्व अपील अधिकारी